

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाए जिससे स्पष्ट हो।



ग्राम : गूलीवर्सी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3627

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-
महाविद्यालय का नाम : इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, ग्राम पिपरोली, ग्वालियर
मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. के. भारद्वाज, शासकीय नेहरू महाविद्यालय, सबलगढ़
2. श्री चन्द्रशेखर शर्मा, शासकीय महाविद्यालय, शिवपुरी
उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, ग्राम पिपरोली, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉर्टेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लमस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही जिसा जावे जा
कि फिरी उत्तर प्राप्तिकारी के बने हैं।
उन्नतविद्या विषय पर यहि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रान्ति एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : दूलीपुरी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक/एक/सम्बद्धता/2009/ 4693

दिनांक: २२/०३/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध इंटर्लैन्ट ऑफ टेक्नीकल स्टडीज, ग्राम पिपरेनी, ग्वालियर (09309777996) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तुति/संचालित बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष, एवं बी.कॉम. द्वितीय वर्ष (लेव.कम्प्यूटर एप्लीकेशन अ.ति.वि.) पास्युल्यान् कक्षा/प्राथ्यक्रमों/विषयों की अस्त्याकारी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गात निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विभाग अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)

(2) प्रो. डी.एन. गोरखानी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. एश.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घरेहर राशि, चार्जिंग लैक्षणिक/अर्णीक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछले सेव में दी गई शर्तों की पूर्वी नये प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/क्षेत्रिक एवं अर्णीक्षणिक स्ट्रॉफ छी नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अच्युत सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से बिवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा। इन्टर्लैन्ट ग्राम पिपरेनी, ग्वालियर

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की जई देवी के लिए महाविद्यालय स्वरं उत्तरदायी होगा। निरीक्षण सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को श्रेष्ठ दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बर्ही करता है तो समिति खत: बिरुद्ध हो जावेगी और पुक़ निरीक्षण समिति गव्हर्नर हेतु महाविद्यालय को दण्ड ट्यूलर रु. 25,000/- जगा करवे होंगे। तपश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगति किया जायेगा। परिवियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्थल / कार्यालय सहायक प्रावाली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को बी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

बोठ:- निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है, आई.ए.ब.ली. के बार्मर्स को सुविशित करने के उपरांत ही कार्यालय में प्रतिवेदन प्रतुत करें।

Amrit B
कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संचालित महाविद्यालय की ओर मेजकर आगह है कि निरीक्षण के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सत्यापुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

Raj
सहायक कुलसंचिव (सम्बद्धता)